

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 158/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Naveen Kumar Tank Add: 10-I-40, R.C. Vyas Colony, ward no. 47, Bhilwara, Raj.

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 15/10/2025



प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329815003421784 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 8585162270 दिनांक 16.09.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक. रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/158/25/956-57 दिनांक 19.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अ./2005/2025/1371 दिनांक 25.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील से संबंधित समस्त वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पोर्टल पर संकलित कर रेफरेन्स नं. 159768331 दिनांक 24.09.2025 को ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है। आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जाने से अब इस कार्यालय कोई सूचना सूचना दिया जाना शेष नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को आरटीआई पोर्टल पर जरिये रेफरेन्स नं. 159768331 दिनांक 24.09.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित


जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर